झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...64......... वर्ष 20..23..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री तौकिर अहमद खाँ एवं अन्य
ग्रा०-पिपरा, पं०-पिपरा, प्र०-गढ़वा,
जिला – गढ़वा।

बनाम

वाद प्रारम्भ की तिथि
21/12/2023

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गढ़वा

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की ति[illegible]	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–64/2023 परिवादी श्री तौकिर अहमद खाँ एवं अन्य, ग्राम–पिपरा, पंचायत–पिपरा, प्रखण्ड–गढ़वा, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा ग्राम–गांगी खुर्द के PDS डीलर ममता स्वयं सहायता समूह, अनु0 सं0–04/2016 के विरूद्ध निम्न आरोप लगाए गए हैं:– 1. PDS डीलर द्वारा ईट, पत्थर से राशन से वजन किया जाना। 2. माह अगस्त में सभी कार्डधारियों से अंगूठा लगवाकर राशन वितरण नहीं करना। परिवादीगण द्वारा PDS डीलर के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं माह अगस्त का राशन दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	**वाद सं0–64/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री तौकिर अहमद खाँ एवं अन्य, ग्राम–पिपरा, पंचायत–पिपरा, प्रखण्ड–गढ़वा, जिला–गढ़वा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक–48, दिनांक–10.01.2024 के माध्यम से आयोग को लिखित आवेदन समर्पित किया है। प्रतिवेदन के साथ संलग्न पत्र में शिकयतकर्त्ता एवं अन्य ने लिखित रूप से दिया है कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद उनकी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। उन्हें राशन प्राप्त हो गया है। और उन्हें अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। शिकायतकर्त्ताओं के लिखित हस्ताक्षर प्रतिवेदन के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx24 पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002 email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267	